प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पुद्दी पासी पुत्र स्व0 परमानन्द, निवासी जनपद-मीरजापुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-28437/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-07.07.2025) दिनांक-14.07.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पुद्दी पासी पुत्र स्व0 परमानन्द, ग्राम-दीवानघाट कस्बा थाना-विन्ध्याचल, जनपद-मीरजापुर का निवासी है। पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 24/25.04.2011 की रात्रि को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी, उक्त अपराध हेतु 1- बंदी को सत्र परीक्षण सं0-126/2011 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ई०सी०एक्ट, न्याय कक्ष सं०-04, मिर्जापुर के आदेश दिनांक 10.11.2016 द्वारा मृत्युदण्ड़ से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.02.2019 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। 2- बंदी को सत्र परीक्षण सं0-29/12 में भा0द0वि0 की धारा-3(1) उ०प्र० गैगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-06, मीरजापुर के आदेश दिनांक 31.05.2018 द्वारा 10 वर्ष कारावास एवं अर्थदण्ड़ रू० 5,000/- मूल सजा समाप्त व अर्थदण्ड की सजा शेष है, बंदी द्वारा दिनांक-13.05.2025 तक 14 वर्ष, 00 माह, 08 दिन की अपरिहार तथा 15 वर्ष, 01 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि० एल० जे० 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, पुनः अपराध कारित किये जा सकने व जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, सामाजिक व आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु आख्या दिनांक 24.06.2025 में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 24/25.04.2011 की रात्रि को बंदी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचों से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पुद्दी पासी पुत्र स्व0 परमानन्द को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पुद्दी पासी (बन्दी संख्या-127/2018) पुत्र स्व0 परमानन्द, निवासी जनपद-मीरजापुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-849/2026/1509(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-849/2026/1509/22-2-2025-17(984)/2025

दिनांक 30 जून, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पुद्दी पासी पुत्र स्व0 परमानन्द, ग्राम-दीवानघाट कस्बा थाना-विन्ध्याचल, जनपद-मीरजापुर का निवासी है। पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 24/25.04.2011 की रात्रि को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी, उक्त अपराध हेतु 1- बंदी को सत्र परीक्षण सं0-126/2011 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ई०सी०एक्ट, न्याय कक्ष सं०-04, मिर्जापुर के आदेश दिनांक 10.11.2016 द्वारा मृत्युदण्ड़ से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.02.2019 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। 2- बंदी को सत्र परीक्षण सं0-29/12 में भा0द0वि0 की धारा-3(1) उ०प्र० गैगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-06, मीरजापुर के आदेश दिनांक 31.05.2018 द्वारा 10 वर्ष कारावास एवं अर्थदण्ड़ रू० 5,000/- मूल सजा समाप्त व अर्थदण्ड की सजा शेष है, बंदी द्वारा दिनांक-13.05.2025 तक 14 वर्ष, 00 माह, 08 दिन की अपरिहार तथा 15 वर्ष, 01 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि० एल० जे० 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, पुनः अपराध कारित किये जा सकने व जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, सामाजिक व आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु आख्या दिनांक 24.06.2025 में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 24/25.04.2011 की रात्रि को बंदी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचों से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पुद्दी पासी पुत्र स्व0 परमानन्द को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in